हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सवाई सिंह बनाम सज्जन कुमार

अभि० अधिवक्ता उप० बहस हेतु समय चाहा लि० 14/12/17 को पेश हो

अभि० अधिवक्ता उप० बहस हेतु समय चाहा लि० 31/1/18 को पेश हो

अभि० अधिवक्ता उप० बहस हेतु मौखिक रूप से सुना गया। अभि० अधिवक्ता का तर्क है कि मूल वाद में फौती रिपोर्ट तलब की गई थी अतः मूल स्थल पर रिपोर्ट आने के पश्चात मूल वाद का ही निस्तारण हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 15 आदेश के वाद के निर्णय तक कार्यवाही किये जाने पर अधिवक्ता ने सहमति जाहिर की तथा प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया एवं पत्रावली जारी अस्वीकृत किये जाने आदेश दिनांक 3/7/12 को वा० फैसला वाद कार्यवाही किया जाता है पत्रावली दफ्तर हो कम होकर शुमार कोतल हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोठारिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2019.12.09 12:02:33 IST
Reason: SelfAttested